न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

सूचना का अधिकार अपील 04/2024

बनाम

अपीलांटः–

1. **भुपेन्द्र गहलोत एडवोकेट**
   बालोतरा

रेस्पोडेंट :–

1. **तहसीलदार, गिड़ा**

आदेश

दिनांक 30.04.2024

अपीलार्थी भुपेन्द्र गहलोत एडवोकेट बालोतरा ने यह प्रथम अपील उतरदाता तहसीलदार, गिड़ा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिड़ा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई।

रेस्पोडेंट द्वारा सुनवाई तिथि को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन में आवेदन में आवेदक द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क रूपये 10/– के स्थान पर 5/– रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 60C642209 आवेदन के साथ पेश किया गया है, जो कि सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 तहत मान्य नहीं है। अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा कराने पर मांगी गई उपलब्ध सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी जाएगी। अपीलार्थी की उक्त अपील अस्वीकार कर प्रकरण खारिज जाए। लिहाजा अपील दाखिल दफ़्तर फरमाई जावे। अपीलार्थी स्वयं अनुपस्थित।

हमने प्रस्तुत अपील, राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के नियमानुसार शुल्क जमा नहीं कराई गई है। जब तक नियमानुसार शुल्क अदा नहीं करने पर सूचना दिये जाने का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील खारीज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील खारीज की जाकर पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 30.04.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा